डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः सम्ब0/965/2025 दिनांक–23/01/2025

कार्यालय–ज्ञाप

माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 20.01.2025 के अनुपालन में स्नातक/परास्नातक एवं विधि महाविद्यालय जिनको सत्र 2024–25 में अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त थी ऐसे समस्त महाविद्यालय सत्र 2025–26 में सम्बद्धता विस्तारण प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित **(प्रति पाठ्यक्रम/विषय स्नातक/स्नातकोत्तर)** सम्बद्धता शुल्क रू0 25,000/– एवं 18 प्रतिशत जी0एसी0टी0 रू0 45,00/– कुल रू0 29,500/– विश्वविद्यालय के खाता संख्या 50371353938 आई0एफ0एस0 कोड़ IDIB000A528 इण्डियन बैंक, विश्वविद्यालय कैम्पस, आगरा में जमा कर सत्यापित चालान/रसीद के साथ शिक्षक/प्रबन्ध समिति अनुमोदन पत्र एवं अवस्थापना सुविधायें पूर्ण होने का शपथ पत्र सहित सम्बद्धता सम्बन्धी सभी प्रपत्र संलग्न करते हुये पत्रावली दिनांक 15 मई, 2025 तक प्रत्येक दशा में उपल्ब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, उक्त तिथि के उपरान्त दिनांक 15 जून, 2025 तक सम्बद्धता शुल्क जमा करने पर अर्थदण्ड (प्रति विषय/पाठ्यक्रम) रू0 10,000/– सहित अनिवार्य रूप से पत्रावली उपलब्ध करायेंगे। उक्त तिथि व्यतीत होने पर महाविद्यालय के किसी भी अनुरोध पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धन का होगा।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

राजेश कुमार
आई.ए.एस.
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचननार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. प्रवेश समन्वयक, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
4. उप–कुलसचिव (सम्बद्धन)।
5. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, वेबसाइट एवं अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को आज ही विश्वविद्यालय की बेवसाइट तथा कालेजों की लॉगिन में अपलोड करने का कष्ट करें।
7. श्री दीपक शुक्ला, प्राप्त सम्बद्धता शुल्क का विवरण कम्प्यूटर में सूचीबद्ध कर संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाईल।

राजेश कुमार
आई.ए.एस.
कुलसचिव

Affisvlett